[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2020-एकीकृत कर

नयी दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2020

सा. का. नि. .....(अ) एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (13) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि सेवाओं की आपूर्ति पर दोहरे कराधान से बचने के लिए या कराधान न लगाने के लिए या नियमों के अनुपालन में एकरूपता लाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, और जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्तमंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर, दिनांक 30 सितंबर,2019, जिसे सा. का. नि. 748 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड, (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी क में, क्रम संख्या 1 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(1)	(2)	(3)
" 2	वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहाल सेवा की ऐसे व्यक्ति को आपूर्ति जो आगे के कारोबार में इसका उपयोग करे ।	सेवा की आपूर्ति का स्थान वह होगा जहां सेवा को प्राप्त करने वाला अवस्थित होगा।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. संख्या 354/32/2020-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार